अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति

प्रस्तावना

तत्कालीन संसदीय कार्य और जल संसाधन मंत्री द्वारा 21 दिसंबर, 2011 को लोक सभा में लाए गए प्रस्ताव को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप वर्ष 2012 में पहली बार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का गठनहुआ। पंद्रहवीं लोक सभा के विघटन से पूर्व समिति ने वर्ष 2012-13 और 2013-14 में कार्य किया। सोलहवीं लोक सभा के दौरान समिति का पुनर्गठन प्रतिवर्ष एक वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। समिति का अंतिम कार्यकाल अर्थात् 2018-19 को सोलहवीं लोक सभा के विघटन तक विस्तारित किया गया था। सत्रहवीं लोक सभा में संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा 24 जून, 2019 को लोक सभा में रखे गए एक प्रस्ताव को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप समिति का फिर से गठन हुआ।

समिति की मुख्य विशेषताएं

- समिति में तीस सदस्य अर्थात् बीस लोक सभा से और दस राज्य सभा से होते हैं जो एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार निर्वाचित किए जाते हैं।
- मंत्री समिति के सदस्य के रुप में निर्वाचन के पात्र नहीं होते हैं और यदि कोई सदस्य समिति के लिए निर्वाचित होने के पश्चात् मंत्री के रुप में नियुक्त होते हैं तो ऐसे सदस्य की सदस्यता ऐसी नियुक्ति की तारीख से समाप्त मानी जाएगी।
- समिति के सभापति की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से की जाती है।
- समिति के सदस्य समिति की पहली बैठक की तारीख से एक वर्ष के लिए पदधारण करेंगे। इसके पश्चात् समिति का पुनर्गठन एक बार में एक वर्ष के लिए किया जाता है।
- समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति हेतु संख्या दस विनिर्धारित होगी।
- सभी अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित लोक सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम, जिसमें लोक सभा अध्यक्ष परिवर्तन और आशोधन कर सकते हैं, लागू होंगे।

समिति के कृत्य

1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 338ख के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार करना और उन उपायों के बारे में दोनों सभाओं में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना जिन्हें संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों सहित संघीय सरकार के अधिकार क्षेत्र के मामलों के संबंध में संघीय सरकार द्वारा उठाएं जाने चाहिए।

2 समिति द्वारा प्रस्तावित उपायों पर संघीय सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा की गई कार्रवाई पर दोनों सभाओं में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

3 संविधान के उपबंधों के अनुपालन में संघीय सरकार अपने नियंत्रणाधीन(सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक और अर्द्ध-सरकारी निकायों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में नियुक्ति सहित) सेवाओंऔर पदों में अन्य पिछड़े वर्गों विशेषकर अति पिछड़े वर्गो का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों की जांच करना।

4 संघ राज्य क्षेत्रों में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए चल रहे कल्याण कार्यक्रमों के बारे में दोनों सभाओं में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

5 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों सहित संघीय सरकार के अधिकार क्षेत्र के अधीन अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित सभी मामलों पर सामान्यत: विचार करना एवं दोनों सभाओं में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना; और

6 ऐसे मामलों पर विचार करना जिसे समिति उपयुक्त समझे या इसे विशेष रुप से सभा या लोक सभा अध्यक्ष द्वारा भेजा गया है।

समिति को भारत सरकार और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के अधीन सभी मंत्रालयों/विभागों की जांच का अधिदेश प्राप्त है। समिति संबंधित मंत्रालयों/विभागों की दैनिक प्रशासनिक मामलों पर विचार नहीं करती है। समिति सामान्यत: उन मामलों पर भी विचार नहीं करती है जो अन्य संसदीय समितियों के विचाराधीन होते हैं।